

न्यायालय:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला-अशोकनगर  
(पीठासीन अधिकारी:-जफर इकबाल)

फाइलिंग नंबर 235103000152010

दांडिक प्रकरण क.-126 / 10

संस्थापित दिनांक-19.04.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर।	
	<b>अभियोजन</b>
<b>विरुद्ध</b>	
01-बल्लू पुत्र फेरनसिह आयु 35 वर्ष 02-दयाबाई पत्नी बल्लू लोधी आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम आकेत थाना पिपरई जिला अशोकनगर म0प्र0	
	<b>आरोपीगण</b>
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री चौरसिया अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 04.10.2017 को घोषित)

01- आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 324,323,341,294 एवं 506/34 भाग दो के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपीगण का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपीगण को भादवि की धारा 323,294,341 एवं 506/34 भाग दो के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 324 के संबंध में पारित किया जा रहा है।

04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी राजबाई ने दिनांक 29.01.10 को 19:03 बजे आरक्षी केंद्र पिपरई में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 29.01.10 फरियादी के घर के सामने ग्राम आकेत में आरोपीगण ने उसके साथ गाली गलोच की तथा कुल्हाड़ी से मारपीट की और साथ ही जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 14/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 323,294,341 एवं 506/34 भाग दो के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

05— प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 323,294,341 एवं 506/34 भाग दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

06— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या आरोपीगण ने दिनांक 29.01.10 को 18:00 बजे फरियादिया राजबाई के घर के सामने ग्राम आकेत में फरियादिया को धारदार अस्त्र से मारपीट कर स्वेच्छया उपहतित कारित की ?
----	---

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 राजबाई एवं अ.सा.2 रघु वीर की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

08— अभियोजन साक्षी 01 राजबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण उसके जेठ एवं जिठानी है। तथा घरेलू विवाद पर से उनकी धक्का मुक्की हो गई थी। अ.सा.1 के अनुसार आरोपीगण ने उसके साथ कुल्हाड़ी से कोई मारपीट नहीं की गई है। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन देने से इंकार किया है और साथ ही पुलिस रिपोर्ट प्र0पी01 में कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाली बात लिखाने से इंकार किया है, इसी प्रकार अ.सा.2 ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण ने कुल्हाड़ी से मारपीट की थी। उक्त साक्षी ने घरेलू विवाद पर से धक्का मुक्की होने के बारे में बताया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है अभियोजन साक्षीगण ने अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपीगण द्वारा फरियादी को धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की गई है।

09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादवि की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

11— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।

12— आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा

428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)